संख्या–वे0आ0–2–1975 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उद्योग विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक निदेशक मुद्रण, के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(2) सहायक निदेशक मुद्रण के पोषक संवर्ग से प्रशासनिक सहायक को हटा दिया जाए। भविष्य में सहायक निदेशक (मुद्रण) के पद के पोषक पदों में हेड रीडर तथा मुद्रण ओवरसियर के पद ही रह जाएंगे। अतः सहायक निदेशक (मुद्रण) के 70 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 30 प्रतिशत पद हेड रीडर तथा मुद्रण ओवरसियर से पदोन्नति द्वारा भरा जाए।

(3) सहायक निदेशक (प्रपत्र/प्रकाशन) के पोषक पदों में से पुस्तकालयाध्यक्ष पद को हटा दिया जाए तथा भविष्य हेतु सहायक निदेशक (प्रपत्र/प्रकाशन) के एकल पद को लिपिकीय सवर्ग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों में संविलीन कर दिया जाए।

(4) सहायक निदेशक (लेखन सामग्री) के पोषक पद से प्रशासनिक अधिकारी के पद को हटा दिया जाए तथा भविष्य हेतु इस पद का पदनाम वरिष्ठ रसायनिक सहायक रखा जाए।

(5) उप निदेशक (प्रपत्र/प्रकाशन) का पदनाम प्रकाशन अधि किया जाए और इस पद को वरिष्ठ रसायनिक सहायक से पदोन्न के माध्यम से भरा जाए।

(6) रीडर के पद पर अनुमन्य वर्तमान वेतनमान रू0 4000–6000 के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 4500–7000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(7) कापी होल्डर के पद पर प्रूफ रीडिंग में 02 वर्ष का अनुभव शैक्षिक अर्हता में वरीयता के रूप में है। प्रूफ रीडिंग में 02 वर्ष का अनुभव आवश्यक अर्हता में सम्मिलित करते हुए वर्तमान वेतनमान रू0 3050–4590 के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 3200–4900 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(8) हेड रीडर, रीडर, रिवाइजर तथा कापी होल्डर के पद राजकीय प्रेस के वर्तमान टेक्नोलॉजी में अब अधिक उपयोगी नहीं रह गये हैं। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि विभाग द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर परीक्षण किया जाए और जितने पदों की आवश्यकता बनी हुई है, उन्हें छोड़कर शेष पदों को समाप्त किया जाए।

(9) इलेक्ट्रीशियन के पद की निर्धारित अर्हता को यथावत रखते हुए इलेक्ट्रीशियन वेतनमान रू0 4000–6000 एवं सहायक इलेक्ट्रीशियन/आर्मेचर बाइन्डर वेतनमान रू0 3050–4590 के पदों को संविलीन करते हुए इलेक्ट्रीशियन पदनाम से वेतनमान रू0 4000–6000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/– में रखा जाए।

(10) वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू0 4500–7000 तथा प्रपत्र निरीक्षक वेतनमान रू0 4500–7000 के पदों को वरिष्ठ सहायक में संविलीन कर दिया जाए। कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रपत्र निरीक्षक से परिवर्तित वरिष्ठ सहायक का पदनाम वरिष्ठ सहायक (स्टोर/प्रपत्र) रखा जाए। वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिपिकी संवर्ग के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के अनुसार वरिष्ठ लिपिक ए वरिष्ठ सहायक के पद संविलीन होकर वरिष्ठ सहायक हो जाएंगे कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–।। के पद प्रशासनिक अधिकारी परिवर्तित हो जाएंगे। फलस्वरूप प्रशासनिक अधिकारी के पोष

संवर्ग में, वरिष्ठ सहायक, जिसमें वरिष्ठ सहायक (स्टोर प्रपत्र) तथा वरिष्ठ लिपिक से संविलियन के फलस्वरूप बने वरिष्ठ सहायक सम्मिलित हैं, भी आ जाएंगे।

(11) कल्याणकारी आयोजक के 03 पदों वेतनमान रू0 4000–6000 तथा कल्याणकारी सहायक के 01 पद वेतनमान रू0 4000–6000 को संविलीन कर कल्याणकारी आयोजक पदनाम से पद रखे जाएं।

(12) गेटमैन के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 2550–3200 के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 3050–4590 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(13) केयर टेकर तथा गेट जमादार/प्रेस जमादार के पदों को भविष्य में गेटमैन से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाए। केयर टेकर तथा गेट जमादार/प्रेस जमादार के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 2610–3540 के स्थान पर वेतनमान रू0 3200–4900 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(14) सामान्य संवर्ग के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, लिपिक श्रेणी सहित अन्य विभिन्न सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा संस्तुतियां की जा चुकी है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के सामान्य श्रेणी के पद भी उन्ही संस्तुतियों से आच्छादित होंगे।

(15) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्य किसी पद/संवर्ग की वेतन विसंगति का मामला समिति के संज्ञान में नहीं लाया गया।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

/

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2– 1975 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।

2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव